न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 28 / 2024

1 प्रहलाद राम पुत्र जगु उम्र 65 साल
2 बजरंग पुत्र मूंगाराम उम्र 60 साल
जाति जांगिड़ निवास ग्राम ड़ाबड़ी बलौदा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
3 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय / आदेश दिनांक 18.08.2023
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मु.नं. 126 / 2022 प्रार्थना
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी प्रहलाद बनाम सहायक
अभियन्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री किशोर कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री श्रवण सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 25/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 126/2022 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 14, 15, 6, 7, 8 वाके ग्राम डाबड़ी बलौदा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 11.08.2023 नियत थी। जिस पर एस.डी.ओ. न्यायालय की सभी फाइलों में एक साथ तारीख पेशी 19.09.2023 नियत की गई थी। जो प्रार्थी के वकील साहब ने अपनी डायरी में नोट कर रखी थी। नियत तारीख दिनांक 19.09.2023 से पूर्व ही किसी समय न्यायालय ने उक्त आदेश बिना पक्षकारान व उनके वकील की बहस सुने ही पारित कर दिया जिसके बारें में प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं हुई। दिनांक 18.08.2023 के बाद दिनांक 19.09.2023 को जब तारीख पेशी पर प्रार्थी अपने वकील के पास आया तब प्रार्थी को प्रार्थी के वकील ने बताया कि बिना सुनवाई के ही आपकी फाईल में निर्णय पारित कर दिया गया है। ग्राम डाबड़ी बलौदा में भूमि खसरा नम्बर 6 रकबा 0.99 है, खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 7 रकबा 0.49 है., खसरा नम्बर 8 रकबा 0.12 है., स्थित है। जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी की भूमि के पूरब में सड़क हेतु भूमि स्थिति है। प्रार्थी की भूमि के पूरव में सड़क हेतु भूमि स्थित है। प्रार्थी ने दावा बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 180/2022 पेश किया गया था जिसके साथ में उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मु.न. 126/22 इस आशय के पेश किए थे कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6, 7 व 8 में किसी प्रकार का कोई सड़क निर्माण कार्य नहीं करें बल्कि सड़क के लिए स्थित भूमि में से ही सड़क निर्माण कार्य करें। उक्त दावा व प्रार्थना पत्र के जवाब में अनावेदक संख्या 1 व 2 ने जवाब दिया कि आवेदकगण की खातेदारी भूमि में से कोई सड़क निर्माण कार्य नहीं किय जा रहा बल्कि सड़क हेतु अवाप्त की गई भूमि में से ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त स्थिति में साफ जाहिर है कि अनावेदकगण को आवेदकगण की खातेदारी भूमि में से कोई सडत्रक निर्माण करने का अधिकार नहीं है इस प्रकार आवेदकगण अपीलान्टस का प्रथम दृष्टया मामला बनना स्पष्ट था। विवाद कृषि भूमि की सीमा का था जो न्यायालय द्वारा जरिये साक्ष्य तैय करके ही प्रार्थना पत्र. को निस्तारण किया जाना चाहिए था, परन्तु विचारण न्यायालय ने आनन–फानन में बिना सुनवाई के ही प्रार्थना पत्र को खारिज कर गंभीर कानूनी भूल की है। आवेदक/अपीलांटस द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गय है। अनावेदक संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही रिपोर्ट मानते हुए विचारण न्यायालय ने उस पर अविश्वास नहीं करना तथा विवाद का पर्याप्त समाधान माना है जबकि न्यायालय द्वारा स्वतंत्र रूप से दोनों पक्षों के सामने मौके पर नाप जोख कर रिपोर्ट मंगवाई जाकर अथवा स्वयं द्वारा मौका निरिक्षण करके दोनों पक्षो को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर ही आदेश पारित किया जाना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त के विपरित कानून व तथ्यों के विपरित आदेश दिनांक 18.08.2023 पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 6, 7, 8 में से सड़क निर्माण हेतु क्रमशः 0.15, 0.9, 0.4 हैक्टेयर अवाप्त की गई है। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। इसी भूमि पर सड़क निर्माण किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की अवाप्तशुदा भूमि पर सड़क निर्माण कार्य रूकवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर विधि सम्मत रूप से आवेदन खारिज किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है खसरा नम्बर 6, 7, 8 में से सड़क निर्माण हेतु क्रमशः 0.15, 0.9, 0.4 हैक्टेयर अवाप्त की गई है। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। इसी भूमि पर सड़क निर्माण किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की अवाप्तशुदा भूमि पर सड़क निर्माण कार्य रूकवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर विधि सम्मत रूप से आवेदन खारिज किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार IIदे)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर